कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 333 /प्र.अ./विधि(स्टेनो)./लोस्वायांवि./2025 भोपाल, दिनांक = 12/08/2025.

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन कमांक 37806/2024 (राजेंद्र पारीक एवं 02 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड देवास के अधीनस्थ कार्यरत 03 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों कमशः (1) श्री राजेंद्र पारीक, (2) श्री जाहिद पठान एवं (3) श्री इरफान शेख के द्वारा दायर की गई थी, में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2024 के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं के सम्बन्ध में, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र 21915/2017 (श्री गोकुल चंद्र रॉय एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024, में निहित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर, उनके स्टेटस का निर्धारण किया जा रहा है ।

(1) श्री राजेंद्र पारीक एवं 02 अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन क. 37806/2024 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

(A) The Hon. High court may kindly be pleased to issue appropriate writ or directions to Respondents to grant regularization to the petitioners and also to count seniority of petitioners from year 1986 in the light of order passed by the Co-ordinate Bench at Jabalpur in W.P. No. 21915/2017 and other connected petitions decided on 27th February 2024.

(B) The Hon. High court may also kindly be pleased to issue appropriate writ or directions to Respondents to grant regularization and pensionary benefits to the petitioners on account of their long service period, in the light of circulars dated 16.05.2007 and 03.05.2017 by quashing order dated 07. 06.2011 (in the matter of petitioner no. 1)

(C) Any other relief which this Hon'ble Court deems fit and proper may kindly be granted to the petitioners.

(2) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

2, During the course of hearing, learned counsel for the parties agreed that this petition may be disposed of in terms of the order passed by the Coordinate Bench of this Court at Principal Seat Jabalpur in WP No. 21915 of 2017 (SHRI GOKUL CHANDRA ROY AND OTHERS VS. STATE OF M.P. AND OTHERS) decided on 27/2/2024.

3] In view of the consensus arrived at, this petition is disposed of, by directing that the order passed in the case of SHRI GOKUL CHANDRA ROY (Supra) applied mutatis mutandis with full force to the present petitioners.

4] The respondents are directed to act in accordance with the direction contained in SHRI GOKUL CHANDRA ROY (supra).

5] With the aforesaid, the petition stands disposed of.

(3) न्यायालयीन निर्णय में उल्लेखित न्यायदृष्टांत का विवरण

माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता कर्मचारियों के स्टेटस का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित प्रकरण "**रिट याचिका कमांक 21915/2017 (श्री गोकुल चंद्र रॉय एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024** " के अनुसार किया जाना है। पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024 निम्नानुसार है :–

After hearing learned counsel for the parties and going through the record, and with a view to maintain parity, it is directed that the respondents wil consider the cases of the petitioners within a period of 120 days from the date of receipt of certified copy of this order being passed today in the light of the decision of Supreme Court in Uma Devi (supra) and the G.A.D. Circulars issued thereafter on 16.05.2007 and also other circulars issued from time to time.

Respondents are also directed to consider the cases of the petitoners as per their seniority after preparing a list of seniority showing the date of initial appointment of each of the workmen including those who have already been regularized. If they are subsequent appointees than the petitioners, then consider each case on the basis of the guidelines laid down by Hon'ble Supreme Court in the case of Uma Devi (supra).

Let this exercise be completed, screening be done and eligible candidates be given their due within the aforesaid period.

Petitions are allowed and disposed of.

(4) अंतिम रूप से की जाने वाली कार्यवाही का विवरण :–

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क. 21915/2017 (श्री गोकुल चन्द्र राय एवं अन्य बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024 में माननीय न्यायालय ने कर्मचारियो के बीच समानता बनाये रखने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उमा देवी (सुप्रा)** प्रकरण में पारित निर्णय और म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त निर्णय के पश्चात जारी किये गये परिपत्र दिनांक 16.05.2007 एवं समय–समय पर जारी किये गये अन्य परिपत्रों के अनुसार,

नियमितीकरण से वंचित रहे, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रकरण पर विचार करने के निर्देश दिये गये है।

माननीय न्यायालय ने यह यह भी निर्देश दिये है कि ऐसी कार्यवाही तभी की जानी है जबकि जिन दैनिक वेतन भोगी कमचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है, उनसे कनिष्ठ कर्मचारियो का नियमितीकरण हो गया है। नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामलों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उमा देवी (सुप्रा)** प्रकरण में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप विचार किया जाना है।

(5) याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का विवरण :–

रिट याचिका कमांक 37806/2024 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2024 के अनुक्रम में सभी वादी कर्मचारियों की ओर से एक अभ्यावेदन दिनांक 13.12.2024 को प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

प्रति,

1. श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   इंदौर परिक्षेत्र इंदौर (म.प्र.)

2. श्रीमान कार्यपालन यंत्री महोदय,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   देवास खंड, सिविल लाइन्स, जिला देवास (म.प्र.)

विषय :– माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय इंदौर पीठ के द्वारा रिट याचिका कमांक 37806/2024 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 के आलोक में प्रार्थीगण को गोकुल चन्द्र रॉय तथा अन्य के समान नियमित कर सभी अनुषंगिक लाभ प्रदान करने बाबत्।

माननीय महोदय,

1. प्रार्थीगण की ओर से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण 1. राजेन्द्र पारीक पिता श्री कैलाश नारायण, 2. जाहिद पठान पिता मोह. युनुस पठान 3. इरफान शेख पिता हबीब शेख, सभी निवासी देवास (म.प्र.) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होकर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका कमांक 37806/2024 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें वर्ष 1986 से नियमितीकरण एवं अन्य समस्त लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की गयी थी, जो माननीय नयायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.12.2024 के द्वारा निराकृत करते हुए माननीय उच्च नयायालय द्वारा प्रार्थीगण को गोकुल चन्द्र रॉय तथा अन्य आदि के प्रकरणों के आलोक में समस्त लाभ प्रदान करने हेतु माननीय मुख्य अभियंता महोदय को निर्देशित किया गया है। यह भी आदेशित किया गया है कि, गोकुल चन्द्र रॉय तथा अन्य द्वारा दायर रिट याचिका कमांक

21915/2017 में पारित आदेश पूर्ण प्रभाव से अर्थात full force से mutatis mutendis अर्थात यथायोग्य परिवर्तनों के साथ याचिकाकर्ताओं पर लागू होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों श्री सदाशिव भारती, श्री यमुना प्रसाद मिश्रा की वर्ष 2003 में तथा श्री उल्हास जोशी, प्रदीप कुलकर्णी, अजय कुमार अवस्थी एवं श्री देवनारायण शर्मा को वर्ष 2009 में नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया गया था।

2. उक्त समसत तथ्यों के आलोक में नियमितीकरण हेतु प्रार्थीगण को योग्य मानकर लाभ देने हेतु माननीय न्यायालय के द्वारा विभाग को आदेशित किया गया है । उक्त संबंध में यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण की नियुक्ति वर्ष 1986 में की गयी थी एवं पूर्व में जारी किये गए प्रपत्र दिनांक 09 जनवरी 1990 के अनुसार राज्य शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि दिनांक 31.12.1988 तक दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एवं कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को स्थापना मे नियुक्त किया जावे एवं उनका नियमितीकरण किया जाये। उक्त प्रपत्र में यह भी प्रावधानित है कि उन्हें नियमित स्थापना में नियुक्ति दी जाये और नियमित स्थापना में पद उपलब्ध न हो तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पद सृजित किये जाने की कार्यवाही ही जाये।

अतः उक्त स्पष्ट प्रावधानों के आलोक में माननीय श्रीमान से निवेदन है कि हमारे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में हमें वर्ष 1986 से नियमितीकरण एवं अन्य समस्त लाभ प्रदान करने की कृपा करें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तथा संदर्भित प्रपत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत है, यही निवेदन है।
दिनांक 13.12.2024

प्रार्थीगण

(4) रिट याचिका कमांक 37806/2024 (राजेंद्र पारीक एवं 02 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2024 के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड देवास के अधीनस्थ कार्यरत सभी वादी कर्मचारियों के स्टेटस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 12.12.2024 का निराकरण निम्नानुसार किया जाता है :–

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उमा देवी (सुप्रा) प्रकरण में पारित निर्णय और म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त निर्णय के पश्चात जारी किये गये परिपत्र दिनांक 16.05.2007 एवं समय–समय पर जारी किये गये अन्य परिपत्रों के अनुसार, विभाग द्वारा की गई नियमितीकरण की कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्तागण का भी विचारण किया गया है :–

(अ) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी/अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में परिपत्र कं. एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 16.05.2007, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.09.2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.09.2014 जारी किये गये थें।

(ब) म.प्र.शासन, समान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये उपरोक्तानुसार निर्देशों के परिपालन में विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का कार्यभारित स्थापना के रिक्त पदों पर नियमितीकरण किया जाना था किन्तु विभाग के समक्ष यह तथ्य आये थे कि विभाग द्वारा वर्ष 1980 में बनाये गये कार्यभारित स्थापना कर्मचारियों के भर्ती नियम तत्समय म.प्र.राजपत्र में प्रकाशित नहीं

होने के कारण प्रभावशील नहीं रहे है तथा विभाग को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का कार्यभारित स्थापना में नियमितीकरण करने के पूर्व नये सिरे से कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के कर्मचारियों के लिये सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम बनाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा म.प्र.शासन, समान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन एवं सहमति उपरांत **"म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी(भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2012"** बनाये गये थे। इन नियमों का म.प्र. राजपत्र(असाधारण) में दिनांक 18/09/2012 को प्रकाशन हुआ था तथा उक्त नियमों के बन जाने के उपरांत विभाग में र्दनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई थी।

(स) इस संबंध मे याचिकाकर्तागण को अवगत कराया जाता है कि विभाग द्वारा वर्ष 2013–2014 में परिपत्र दिनांक 06.09.2008 एवं दिनांक 29.09.2014 के अनुपालन में, विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण, कार्यभारित/नियमित स्थापना के पद पर किया गया था। परिपत्र दिनांक 06.09.2008 में ट्रेडवार सूची बनाकर वरिष्ठता के अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही का उल्लेख था जिसमें उनका वरिष्ठताकम पीछे होने के कारण, उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया था। परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के माध्यम से निर्धारित योग्यता धारण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को उस संवर्ग में पद रिक्त न होने की स्थिति में कोई अन्य समकक्ष रिक्त पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इस परिपत्र के अनुपालन में तत्समय की पदों की रिक्तता एवं नियमितीकरण हेतु शेष रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार समग्रता से विश्लेषण एवं आकलन उपरांत परिक्षेत्र स्तरों पर नियमितीकरण की कार्यवाही की गई थी। इस प्रकिया में भी याचिकाकर्तागण का नियमितीकरण नहीं हो पाया था।

(ii) याचिकाकर्तागण द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही (वर्ष 2013–2014) में भेदभाव बरते जाने का उल्लेख नहीं किया गया है :–

याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 13.12.2024 में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उमा देवी (सुप्रा)** प्रकरण में पारित निर्णय और म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त निर्णय के पश्चात जारी किये गये परिपत्र दिनांक 16.05.2007, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.09.2008 एवं 29.09.2014 के अनुपालन में विभाग द्वारा वर्ष 2013–2014 में की गई, कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही में, उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने अथवा उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव किये जाने का उल्लेख नही किया हैं।

(iii) याचिकाकर्तागण द्वारा वर्ष 2003 एवं 2009 में कनिष्ठ कर्मचारियों के नियमितीकरण के आधार पर अपने नियमितीकरण का दावा "मौन सहमति", "अत्याधिक विलंब" एवं "अवधि बीत जाने" के आधार पर ही विचारणीय नहीं है :–

याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 13.12.2024 में वर्ष 2003 एवं 2009 में उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने का उल्लेख किया है जबकि इन वर्षो में नियमितीकरण की कार्यवाही, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उमा देवी (सुप्रा)** प्रकरण में पारित निर्णय तथा उसके पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्रों से संबंध नहीं रखती है। इसके अतिरिक्त यदि कतिपय कर्मचारियों का नियमितीकरण तत्समय बाध्यकारी प्रकृति के

न्यायालयीन निर्णयों के परिपालन में हुआ हो तो ऐसे कर्मचारियों के मामलो को लाभ प्राप्त करने के लिए, समानता के अधिकार के उल्लंघन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ।

याचिकाकर्तागण द्वारा वर्ष 2003 एवं 2009 में कनिष्ठ कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने एवं उनके साथ भेदभाव किये जाने सम्बन्धी मामलो को Cause of Action उत्पन्न होने के 21/15 वर्षो के पश्चात् रिट याचिका कमांक 37806/2024 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2024 के अनुपालन में अभ्यावेदन दिनांक 13.12.2024 प्रस्तुत कर उठाया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस भांति प्रस्तुत किया गया दावा "मौन सहमति", "अत्याधिक विलंब" एवं "अवधि बीत जाने" के आधार पर ही विचार किये जाने योग्य नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा रिट याचिका कमांक 24199/2021 (मुन्नी बाई बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2021 में किसी समान प्रकृति के कर्मचारी के पक्ष में नियमितिकरण का आदेश जारी होने के 06 वर्षो के पश्चात् समानता के आधार पर नियमितीकरण का लाभ प्राप्त करने हेतु दायर की गयी रिट याचिका को अत्यधिक विलंब से दायर की गयी रिट याचिका मानते हुऐ याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया था।

(iv) याचिकाकर्तागण द्वारा परिपत्र दिनांक 09.01.1990 के अनुसार उन्हे वर्ष 1986 से नियमितीकरण का लाभ देने की मांग, उक्त परिपत्र के दिनांक 12.04.2005 को निरसित हो जाने के कारण विधि अनूकुल नहीं है :–

(अ) याचिकाकर्तागण ने अपने अभ्यावेदन में परिपत्र दिनांक 09.01.1990 के अनुसार उन्हे वर्ष 1986 से नियमितीकरण का लाभ देने की मांग की है। इस संबंध में लेख है कि म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 09.01.1990 के द्वारा वर्ष 1988 के पूर्व नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु रिक्तियॉ नहीं होने के कारण ही याचिकाकर्तागण का नियमितीकरण नहीं किया गया था।

(ब) म.प्र.शासन, समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा ज्ञापन कमांक एफ 5–3/2004/एक/3 भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 2005 के माध्यम से, दिनाक 31.12.1988 तक दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबधित समस्त ज्ञापनों जिसमें ज्ञापन दिनांक 09.01.1990 भी शामिल है, के निरसन की कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 3492/1996 (हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम सुरेश कुमार गर्ग) में निर्धारित विधि कि:–**"ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो भर्ती नियमों और आरक्षण नियमों के प्रावधानों के पालन के बिना नियुक्त किये गये हैं का नियमितीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लघन है"** के आधार पर , की गई थी। इसलिये म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निरसित (Replead) ज्ञापनों यानि ज्ञापन दिनांक 9 जनवरी 1990 को दिनांक 12 अप्रैल 2005 के बाद की किसी कार्यवाही या निर्णय हेतु आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि दिनांक 31.12.1988 के पूर्व के दैनिक वेतन कर्मचारियों की नियमितीकरण की कार्यवाही दिनांक 12.04.2005 को पूर्णतः समाप्त हो गई थी तथा ज्ञापन दिनांक 09.01.1990 के आधार पर नियमितीकरण का कोई दावा करना विधि के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है।

(v) स्वीकृत पद बनाकर सभी का नियमितीकरण करने के लिए सरकार बाध्य नही :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील कमांक 10563–10570/2017 (तमिलनाडू राज्य एवं अन्य विरूद्ध तमिलनाडू मक्कल नाला पनियालालरगल एवं अन्य)** में पारित निर्णय दिनांक 11.04..2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वीकृत पद रिक्त ना होने की स्थिति में राज्य को इस बाबत बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह पदों का निर्माण करें तथा उन लोगों का नियमित सेवा में संविलियन करें जो लगातार सेवाऐं दे रहे हैं।

(vi) याचिकाकर्तागण स्वयं ही अपने नियमितीकरण के दावे के सम्बन्ध में निष्क्रिय बने रहे है :–

(अ) यह पाया गया है कि परिपत्र दिनांक 06.09.2008 एवं 29.09.2014 के अनुसार तत्समय (वर्ष 2013–2014 में) याचिकाकर्तागण द्वारा रिक्तियों, शैक्षणिक योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर कार्यभारित/नियमित स्थापना के किसी पद पर नियमितीकरण के लिये कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया था, जिस पर तत्समय की परिस्थितियों के अनुसार ही विचार कर उचित निर्णय लिया जा सकता था ।

(ब) याचिकाकर्तागण द्वारा माह मार्च 2013 से वर्तमान रिट याचिका कमांक 37806/2024 प्रस्तुत किये जाने के दिनांक 15.11.2024 तक भी उनका नियमितीकरण नहीं किये जाने अथवा उनके साथ नियमितीकरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव किये जाने संबंधी कोई अभ्यावेदन अधीनस्थ कार्यालय अथवा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया है। उपरोक्तानुसार यह पाया जाता है कि विभाग द्वारा तत्समय की गयी नियमितीकरण की कार्यवाही एवं उनका नियमितीकरण नहीं किये जाने पर आपकी विगत लगभग 12 वर्षो तक पूरी तरह से "मौन सहमति" रही है।

(vii) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2007, द्वारा जारी की गयी नियमितीकरण की स्कीम अब अस्तित्व में नहीं है :–

म.प्र. शासन द्वारा नियमितीकरण पालिसी दिनांक 16.05.2007, वर्ष 2016 में जारी किये गए म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कं. एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07.10.2016 **— कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजनां** के माध्यम से पूरी तरह से परिमार्जित की जा चुकी है । योजना का विस्तार सभी विभागों के सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों तक होने के कारण, राज्य शासन द्वारा इस योजना को अधिक लाभदायक, कल्याणकारी और कर्मचारी हितैषी बनाते हुए इसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया **(जिला स्तर के चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किये जाने पर)** के माध्यम से, नियमित सेवा में संविलियन के अवसर भी उपलब्ध कराये गए हैं ।

(viii) याचिकाकर्तागण दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की नियुक्ति पूर्णतः अवैद्यानिक है –

(अ) याचिकाकर्तागण का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड देवास के अधीनस्थ दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप मे नियोजन पूर्णतः अवैधानिक था । विभागीय तौर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार के नियम/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। उनकी नियुक्ति के संबंध में किसी वैद्यानिक प्रक्रिया के अपनाये जाने का कोई प्रमाण नहीं है ना ही इनकी नियुक्ति से संबंधित कोई विधिवत् आदेश जारी हुआ है। विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक (स्थायी वर्गीकृत या अन्यथा) के कोई पद स्वीकृत नहीं है तथा पूर्व में भी स्वीकृत नहीं थे। याचिकाकर्तागण को स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया गया था। संबंधित नियोजकों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की नियुक्ति के अधिकार नहीं थे। उक्तानुसार याचिकाकर्तागण को बिना किसी भर्ती नियम के अथवा किसी भर्ती प्रकिया के तथा बिना किसी शैक्षणिक अर्हता, बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किया गया था। ऐसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर राज्य शासन के सेवा नियम लागू नहीं होते है। यदि उनका नियोजन "म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञायें) अधिनियम 1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत भी विचारित किया जाता है तो भी यह पाया जाता है कि Standard Standing Orders के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में नियत प्रावधानों, जिनका उल्लेख Clause-4 एव 4-A में है, का पालन नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार है –

> **4: Recruitment. — The manager may after consulting the Employment Exchange lay down the procedure for recruitment of employees and notify it on the notice board on, which standing orders are exhibited.**
> **4-A. Letter of appointment. — Every employee shall be given a letter of appointment, in which among other things, his name, age, qualification, designation, classification: pay-scale, allowance, nature of job, name of department etc., shall be indicated.**

(ब) सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्णाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006**के सन्दर्भ में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 16 मई 2007 के अनुसार अवैधानिक नियुक्ति से तात्पर्य यह है कि :–

> " संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत अपात्र लोगों की, ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत की गई नियुक्ति जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो तथा ऐसी नियुक्ति करने हेतु नियुक्तिकर्ता वैध रूप से आबद्ध ना हो तथा ऐसी नियुक्ति करना अवैधानिक हो तथा ऐसी नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत नहीं होते हुए या नियुक्तिकर्ता को नियुक्ति के अधिकार नहीं होते हुए नियम/ बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो। उदाहरणार्थ –
>
> - पद स्वीकृत न होना
> - आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर की गई नियुक्ति
> - नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा न होना

- भर्ती नियम अनुसार अर्हता न होना
- नियुक्ति के अधिकार के बिना नियुक्ति
- कोई पद पर नियुक्ति विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, फिर भी ऐसे नियमों या संविधान के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में भर्ती की गई हो।"

(स) मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर में **रिट याचिका क्रमांक 198/1999 मनसुखलाल सराफ विरूद्ध अरूण कुमार तिवारी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2015** में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसे समस्त आदेश जहॉ विहित भर्ती नियमों का पालन न करते हुये भर्तियॉ की गई हैं वो कानूनी रूप से शून्य मानी जायेंगी। यथा :–

47. "By this pronouncement, we declare that all appointments made in similar manner (without following the selection process prescribed by the relevant recruitment

rules), in breach of statutory rules, be treated as non-est in the eye of law from its inception and would stand annulled forthwith. However, we may leave the passing of a formal general Government order for revocation of all such appointments or on case to case basis, to be issued by the Appropriate Authority of the State Government."

इसी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गयी **एस.एल.पी. (सी) सी.सी.क. 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में आदेश दिनांक 11.4.2017** द्वारा मा0उच्चतम न्यायालय ने मा0उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को मान्य किया है।

(द) उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर विचार करने के उपरांत यह पाया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्णाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006 तथा एस.एल.पी. (सी) सी.सी.क. 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में आदेश दिनांक 11.4.2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार याचिकाकर्तागण का दैनिक वेतन भोगी नियोजन पूर्णतः अवैधानिक था।

(ix) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उमा देवी (सुप्रा) प्रकरण में अवैधानिक रूप से नियुक्त हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को अमान्य किया गया है :–

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क. 21915/2017 (श्री गोकुल चन्द्र राय एवं अन्य बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024 में नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामलों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उमा देवी (सुप्रा)** प्रकरण में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप विचार किया जाना है।

मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस.एल.पी. (सिविल) क्रमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023** में अपने पूर्व निर्धारित प्रकरण **सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सेक्रेटरी कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं**

अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006 का हवाला देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो, बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रक्रिया के तथा बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किये गए हैं, उनके द्वारा की गई नियमितीकरण की मांग मान्य किये जाने योग्य नहीं है । निर्णय निम्नानुसार है :–

> **3. The case of the appellant is that he was engaged in 1980 as a Supervisor, on daily rated basis, under a project of the State Water Resources Department of Madhya Pradesh. The appellant sought regularization on the post of Supervisor/Time Keeper. Admittedly, the minimum qualification for the said post was matriculation with mathematics; a qualification which the appellant did not possess. These qualifications were relaxed by a Government Circular dated 31.12.2010 and the appellant sought his regularization on the post of Supervisor/Time Keeper, as he was qualified for the post and had been working on daily wage basis for a long period of time. In fact, in another writ petition (W.P. 13997/2010) filed by the appellant earlier, the High Court of Madhya Pradesh vide order dated 02.11.2017, had given directions to the State Government to decide the claim of the writ petitioner in accordance with law. Vide order dated 18.06.2018 issued by the Office of Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, the claim of the appellant for regularization was rejected for the reasons that though the minimum qualifications of matriculation with mathematics will not come in the way for his regularization, but the fact remains that the appellant was never appointed against any post. Moreover, his appointment was never made by the competent authority and there were no posts available at the time for regularization. The appellant on the other hand, had set his claim for regularization as persons who were junior to him as daily wagers were regularized in the year 1990 or even before. The learned Single Judge while allowing the writ petition gave directions for regularization of the appellant from the date on which his juniors were regularized. This order was challenged by the State Government before a Division Bench which allowed the appeal of the State Government. The Division Bench rightly held that the learned Single Judge has not followed the principle of law as given by this Court in Secretary, State of Karnataka and Ors. v. Umadevi and Ors. , as initial appointment must be done by the competent authority and there must be a sanctioned post on which the daily rated employee must be working. These two conditions were clearly missing in the case of the present appellant. The Division Bench of the High Court therefore has to our mind rightly allowed the appeal and set aside the order dated 27.06.2019.**
>
> **4. In view of the law laid down by the Constitution Bench of this Court in Uma Devi (supra), the appellant had no case for regularization. There is no scope, hence, for our interference with the order of the**

Division Bench of the Madhya Pradesh High Court. Appeal is dismissed.

उपरोक्तानुसार याचिकाकर्तागण दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी **उमा देवी (सुपरा)** प्रकरण के आधार पर नियमित स्थापना के पदों पर संविलियन की पात्रता नहीं रखते है ।

(x) विभागीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि गोकुल चन्द्र राय (सुपरा) प्रकरण में शामिल कर्मचारियों से मेल नहीं खाती है :–

इस सम्बन्ध में लेख है कि लोक स्वास्थ्यय यांत्रिकी विभाग में कभी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ना तो सेवा से हटाया गया था और ना ही उनकी सेवा वापसी हुई थी। ऐसी स्थिति में इस विभाग के कर्मचारियों के मामले **एल पी ए क्रमांक 247/2002 (म प्र शासन एवं अन्य बनाम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, भोपाल एवं अन्य)** के माध्यम से उठाये नहीं गए थे। उक्त प्रकरण में लोक अदालत द्वारा दिनांक **22.11.2003** को पारित निर्णय में उल्लेखित पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी कण्डिकाये इस विभाग हेतु लागू नहीं है, अपितु अन्य विभाग से सम्बंधित है, इसलिए विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क. 21915/2017 (श्री गोकुल चन्द्र राय एवं अन्य बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024 को जैसे का तैसा लागू किया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त लोक अदालत के समक्ष दिनांक **22.11.2003** को हुआ समझौता भी विभाग पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है क्योकि समझौता सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के प्रकरण में हुआ था ।

याचिकाकर्तागण द्वारा वर्ष 2002 में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, भोपाल के सदस्य होने का कोई उल्लेख/प्रमाण भी ना तो रिट याचिका में प्रस्तुत किये गए है और ना ही उन्होंने अपने अभ्यावेदन दिनांक 13.12.2024 में इस बावत कुछ कहा है ।

(xi) कार्यवाही का कारण मौजूद होते हुए भी अत्याधिक विलम्ब से रिट याचिका दायर करने वाले कर्मचारियों को पूर्व निर्णयों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए :–

(i) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से सभी विभागों के नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को **म.प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961 नियम 1963** के अंतर्गत लाया गया था तथा उनके लिए **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** जारी की गयी थी । इस योजना में शासन के विभिन्न विभागों में भिन्न–भिन्न पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की प्रकृति को देखते हुए, म प्र राज्य में लागू श्रम विधियों तथा राज्य के श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित वेतन श्रेणियों के अनुरूप तीन श्रेणियों क्रमशः – अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल श्रेणियों में विभक्त कर उनके लिए पृथक – पृथक नियमित वेतनमानों का निर्धारण किया गया है, जो शासन के उन्ही पदों पर कार्यरत नियमित कैडर के कर्मचारियों के वेतनमानों से अलग है। इस भांति नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने के स्थान पर विनियमितीकरण किया गया था ।

(ii) नियमितीकरण के स्थान पर विनियमितीकरण किये जाने से असंतुष्ट दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष तत्समय ही रिट पिटीशन क्र 21915/2017 (श्री गोकुल चंद्र रॉय एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) दायर की गयी थी, जिसका निराकरण माननीय न्यायालय ने पारित आदेश दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से किया है ।

(iii) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड देवास के अधीनस्थ कार्यरत दैनिक वेतन भोगी याचिकाकर्तागण कर्मचारियों कमशः (1) श्री राजेंद्र पारीक, (2) श्री जाहिद पठान एवं (3) श्री इरफान शेख को भी वर्ष 2016–2017 में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के अनुसार विनियमितीकरण योजना का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल श्रेणियों में विभक्त कर, उस श्रेणी हेतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान स्वीकृत किये गए थे । यदि याचिकाकर्तागण विनियमितीकरण योजना से असंतुष्ट थे तो वे वर्ष 2017 में ही श्री गोकुल चंद्र रॉय एवं अन्य की तरह अथवा परिसीमा अधिनियम 1963 में में इस पृकृति के प्रकरणों में न्यायालयीन प्रकरण दायर करने की अधिकतम समय सीमा Cause Of Action उत्पन्न होने के उपरांत 03 वर्ष तक यानि अधिकतम वर्ष 2020 तक रिट याचिका दायर कर सकते थे । किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और **गोकुल चन्द्र राय (सुपरा) प्रकरण** प्रकरण में निर्णय पारित हो जाने का इंतजार किया। रिट पिटीशन क्र 21915/2017 (श्री गोकुल चंद्र रॉय एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.02.2024 को निर्णय पारित किया था । उक्त निर्णय पारित होने के बाद इसका लाभ लेने के लिए याचिकाकर्तागण कर्मचारियों द्वारा दिनांक 27.11.2024 को रिट याचिका क्रमांक 37806/2024 दायर की गयी है । इस प्रकार की प्रवत्ति किसी भी दृष्टि से विधि अनुकूल नहीं है ।

(iv) इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ जागरूक और सतर्क कर्मचारियों ने समय पर न्यायालयीन प्रकरण दायर करके कोई लाभ प्राप्त किया है तो ऐसे मामले में पारित निर्णय के आधार पर अन्य सोये हुए कर्मचारियों को जो Cause Of Action उत्पन्न होने के कई वर्षो के पश्चात रिट याचिका दायर करते है, वह लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कुछ न्याय दृष्टांत निम्नानुसार है :–

(a) In State of Karnataka & Ors. Vs. S.M. Kotrayya & Ors., (1996) 6 SCC 267, the Hon'ble Supreme Court rejected the contention that a petition

should be considered ignoring the delay and laches on the ground that he filed the petition just after coming to know of the relief granted by the Court in a similar case as the same cannot furnish a proper explanation for delay and laches. The Court observed that such a plea is wholly unjustified and cannot furnish any ground for ignoring delay and laches.

(b) Same view has been reiterated by the Hon'ble Supreme Court in Jagdish Lal & Ors. Vs. State of Haryana & Ors., AIR 1997 SC 2366, observing as under:-

"Suffice it to state that appellants may be sleeping over their rights for long and elected to wake-up when they had impetus from Veerpal Chauhan and Ajit Singh's ratio.... desperate attempts of the appellants to re-do the

seniority, held by them in various cadre.... are not amenable to the judicial review at this belated stage. The High Court, therefore, has rightly dismissed the writ petition on the ground of delay as well."

(c) In M/s. Roop Diamonds & Ors. Vs. Union of India & Ors., AIR 1989 SC 674, the Hon'ble Supreme Court considered a case where petitioner wanted to get the relief on the basis of the judgment of the Supreme Court wherein a particular law had been declared ultra vires. The Court rejected the petition on the ground of delay and latches observing as under: -

"There is one more ground which basically sets the present case apart. Petitioners are re-agitating claims which they have not persued for several years. Petitioners were not vigilant but were content to be dormant and closeto sit on the fence till somebody else's case came to be decided."

(v) स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कर्मचारियों को **गोकुल चन्द्र राय (सुपरा)** प्रकरण में पारित निर्णय का लाभ लेने की पात्रता नहीं है ।

(5) याचिकाकर्तागण को न्यायालयीन निर्णय के परिपालन में तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के माध्यम से चाहे गये लाभों का अंतिम निर्धारण :–

संपूर्ण विचारोपरांत वादी कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन कमांक 37806/2024 (राजेंद्र पारीक एवं 02 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2024 के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं के सम्बन्ध में, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र 21915/2017 (श्री गोकुल चंद्र रॉय एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024, में निहित निर्देशों के अनुसार विचार कर उनके द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किये गये नियमितीकरण के दावे को ऊपर उल्लेखित समस्त तथ्यों , "मौन सहमति", "विलंब" एवं अवधि बीत जाने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 के आधार पर अमान्य करते हुये निरस्त किया जाता है।

(6) यदि याचिकाकर्तागण इस निराकरण से असंतुष्ट हों तो वे अपनी अपील 02 माह के भीतर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

12/8

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 6722 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2025 भोपाल, दिनांक 12-8-25

प्रतिलिपि :–

1 मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 अधीक्षण यंत्री, (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड देवास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

5 श्री कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड देवास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

प्रमुख अभियंता